रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन) 128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 13, 1991 (आषाढ़ 22, 1913)
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 13, 1991 (ASADHA 22, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय

कार्मिक विभाग

बेंगलूर–560001, दिनांक 23 मई 1991

सं० 2231 बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन व अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विजया बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके व केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, विजया बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) ये विनियम, विजया बैंक (अधिकारी) सेवा (पहला संशोधन) विनियम, 1991 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम, सरकारी गजट में प्रकाशित हुई तारीख से लागू होंगे।

विनियम 21 अब इस प्रकार होगा :

1–11–1987 को व उसके बाद से महंगाई भत्ता योजना इस प्रकार होगी:—

(i) महंगाई भत्ता, अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960–100 में 600 अंकों के ऊपर हर 4 अंकों की बढ़त या गिरावट के हिसाब से देय होगा।

(ii) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :—

(1) 2500/- रु० तक "वेतन" का 0.67 प्रतिशत और

(2) 2500/- रु० से अधिक परन्तु 4000/- रु० तक वेतन का 0.55 प्रतिशत और

(3) 4000/- रु० से अधिक परन्तु 4260/- रु० तक वेतन का 0.33 प्रतिशत और

(4) 4260/- रु० से अधिक वेतन का 0.17 प्रतिशत ।

विनियम 22(2) अब इस प्रकार होगा ।

1-1-1990 को व उसके बाद से अगर किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान न की गई हो तो, वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने योग्य होगा :—

स्तम्भ-I कार्य स्थान निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	स्तम्भ-II देय मकान किराया भत्ता
(i) सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुसार, समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख "ए" वर्ग के नगर तथा समूह "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र ।	वेतन का 14 प्रतिशत, परन्तु अधिकतम 450/- रु० ।
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह "बी" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 375/- रु० ।
(iii) क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (i) व (ii) के अन्तर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की राजधानियाँ	वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 325/- रु०
(iv) क्षेत्र III	वेतन का 8 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 300/- रु०

अगर कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करे तो, उसे मकान किराया भत्ता इस प्रकार दिया जाएगा जैसे, जिस वेतनमान में वह है, उसके प्रथम चरण के 60/- रु० से अधिक, आवास के लिए उसकी ओर से दिया गया वास्तविक किराया अथवा स्तंभ-II में सूचित की गई दरों पर अन्यथा देय अधिकतम मकान किराया भत्ते का अधिकतम 175% जो भी कम हो

स्पष्टीकरण :

1. (ख) 1-4-1990 से, जहां बैंक ने मकान किराए पर लिया हो, बैंक द्वारा देय संविदात्मक किराया अथवा ऊपर (क) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार परिकलित किराया जो भी कम हो ।

2. इस विनियम में व विनियम 23 में, क्षेत्र I, क्षेत्र II, व क्षेत्र III से अभिप्राय इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र-I—12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान

क्षेत्र-II—क्षेत्र-I में सम्मिलित नगरों को छोड़कर, दूसरे ऐसे नगर, जिनकी जनसंख्या 1 लाख व उससे अधिक है

क्षेत्र-III—क्षेत्र-I व क्षेत्र-II में शामिल न किए गए सभी स्थान

विनियम 24 (1) अब इस प्रकार होगा :

अधिकारी अपने व अपने परिवार के लिए वास्तव में किए गए चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा :

अर्थात्

(क) चिकित्सा व्यय :

1-1-1990 को व उसके बाद से अधिकारी द्वारा अपने व अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे दी गई तालिका के स्तंभ-I में विनिर्दिष्ट वेतन सीमा के अध्यधीन की जाएगी । इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से प्रमाण-पत्र

देना होगा कि उसने यह भार लिया है और स्तंभ-II में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन दावा की गई राशि के समर्थन में खर्च का विवरण देना होगा :—

तालिका

वेतन सीमा	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
2100/- रु० से 3060/- रु० प्रति माह	750/- रु०
3061/- रु० प्रति माह और उससे अधिक	1000/- रु०

नोट.—उपयोग में न आई चिकित्सा सहायता राशि को, अधिकारी, संचित कर सकता है, परन्तु संचित राशि किसी भी समय ऊपर उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी के परिवार में उसका पति/उसकी पत्नी, पूर्णतः आश्रित संतान और पूर्णतः आश्रित माता-पिता ही होंगे

(ख) अस्पताल में भर्ती खर्च :

(i) 1-4-1989 को व उसके बाद से अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकारी के मामले में 90 प्रतिशत तक तथा उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60 प्रतिशत तक के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। उठाए गए खर्च से संबंधित बिलों, वाउचरों आदि के आधार पर प्रतिपूर्ति, सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन की जाएगी।

(ii) अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों से (जो भी हो) यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी सरकारी या नगर पालिका अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल अर्थात्, धर्मार्थ संस्थान या धार्मिक मिशन के प्रबंधन के अधीन आने वाले अस्पतालों में भर्ती हों। परन्तु, अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारीगण या उनके परिवार के सदस्य अथव दोनों, किसी अनुमोदित निजी नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं। परन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति ऊपर, वर्णित अस्पतालों में भर्ती होने पर प्रतिपूर्ति योग्य राशि तक सीमित रहेगी।

(iii) 1-4-1989 को व उसके बाद से मान्यता प्राप्त अस्पताल के प्राधिकारियों व बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा घर इलाज की आवश्यकता प्रमाणित करने पर निम्नलिखित रोगों के चिकित्सा खर्चों को भी अस्पताल में भर्ती खर्च समझा जाएगा और अधिकारी के मामले में 90 प्रतिशत तथा उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कैंसर, तपेदिक, पक्षाघात, हृदय रोग, ट्यूमर, चेचक, प्लूरिसी, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, गुर्दे की खराबी।

विनियम 33 (4) अब इस प्रकार होगा :

1-1-1990 को व उसके बाद से जब तक कि आवेदित छुट्टी ना मंजूर कर दी गई हो, विशेषाधिकार छुट्टी अधिक से अधिक 240 दिनों तक संचित की जा सकेगी।

ए० डी० पूंजा,
महाप्रबंधक (कार्मिक व सतर्कता)

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया

कानपुर-208001, दिनांक 4 जून 1991

सं० 3 सी० सी० ए० (8)(1)/91-92—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, सन् 1988 ई० के विनियम 10 (1) खण्ड-3 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गयी तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं, क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं :—

क्रम सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	4903	श्री विश्वनाथ पूरनमल का, एफ० सी० ए०, मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडो गोल्फ फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन, लिमिटेड, पो० ओ० जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया 227817, जिला सुलतानपुर (यू० पी०)	1-4-1991

1	2	3	4
2.	9452	श्री जगन्नाथ प्रसाद केसरवानी, एफ० सी० ए०, केयर आफ राधास्वामी सत्संग सभा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बयालबाग, आगरा–282005	1–4–91
3.	15408	श्री राज कुमार बकलीवाल, ए० सी० ए०, डी–148/ए, सावित्री पथ, बापूनगर, जयपुर–302015	1–4–91
4.	51159	श्री ओ० पी० मन्धाना, एफ० सी० ए०, करीबब्बन इस्पात लिमिटेड, पो० बा० 476, प्वाइंट जिसज (ओ ई वा) त्रिनीडाड एण्ड टुबैगो, वेस्ट इण्डिया ।	1–4–91
5.	53803	श्री लक्ष्मी दत्त व्यास, ए० सी० ए०, एकाउन्टस आफीसर, एन० टी० पी० सी० लिमिटेड, जनता गास प्रोजेक्ट, अनता, जिला कोटा ।	3–7–89
6.	72349	श्री नरायन लाल कोठारी, ए० सी० ए०, केयर आफ श्री स्वतन्त्र भूषण शर्मा, अपो० मैसर्स एस० के० मेहता एण्ड कम्पनी बोहरा गनेश मार्ग, बिहाइन्ड धूल कोट, उदयपुर–313001	1–4–91
7.	72557	श्री राजेन्दर कुमार मंगल, ए० सी० ए०, सी० टाईप होस्टल नं० 25, सेकेण्ड–ए खेतरी कापर काम्पलेक्स खेतरी नगर–333504, जिला झुन्झुनू ।	1–3–91
8.	72723	श्री सुनील कुमार छाछरिया, ए० सी० ए०, मैसर्स ओरियन्टल एलेक्ट्रो स्टील्स एनसीलरी इन्डस्ट्रियल एरिया, तपूदना हटिया, रांची–3	1–4–91
9.	73238	श्री विनोद कुमार सरीमाल, ए० सी० ए०, 11, सोलंकीओ की घाटी, उदयपुर–313001	31–3–91
10.	73666	श्री रोहित्सव साहीजी, ए० सी० ए०, एकाउन्टस आफीसर, पैरोल एकाउन्टस डिवीजन, दि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर ।	1–4–91
11.	74138	श्री विपलब दास, ए० सी० ए०, होल्डिंग नं० 52, पारस नगर, पोस्ट आफिस रोड, पी० ओ० मानगो, जमशेदपुर–831012	1–4–91
12.	74224	मिस माधुरी आशवा, ए० सी० ए०, 84, छनकापुरी, इन्दौर–9 (एम० पी०)	1–4–91
13.	85883	श्री विक्रम अग्रवाल, ए० सी० ए०, विक्रज 382, सेक्टर–15ए, नोएडा–201301	1–4–91

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 28 जून 1991

सं० एफ० पी०–1(142)/91/915—जहां मैसर्स दि इण्डियन रोड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17(1–सी) के अन्तर्गत कर्मचारी परिवार

पेंशन स्कीम 1971 से छूट प्रदान करने के लिए अपने एक कर्मचारी श्री बी० एन० सिंह, कोड नं० डी० एल० 7148/171 के सम्बन्ध में आवेदन भेजा है ।

चूंकि मैं ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से सन्तुष्ट हूं कि भारत सरकार, पेंशन नियम (सी० सी० एस० पेंशन नियम) के अन्तर्गत परिवार पेंशन के रूप में लाभ जो कि उक्त स्थापना के इस कर्मचारी पर लागू है, कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ से अधिक अनुकूल है ।

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1—सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त स्थापना के कर्मचारी, जो कि उक्त स्थापना में आने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की नौकरी में था, तथा सी० सी० एस० पेंशन नियमों द्वारा शासित था, को निम्नलिखित शर्तों पर अधिसूचना के जारी होने की तिथि से या नौकरी की अंतिम तिथि से, उन कर्मचारियों के संबंध में जो सरकार के 22—1—90 के आदेश के अनुसरण में 22—1—90 से 21—7—90 के बीच विकल्प देने के बाद सेवा निवृत हुए को कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के सभी उपबन्धों को लागू करने से छूट प्रदान करता हूं ।

1. ये कर्मचारी छूट की तिथि से कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

2. कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा ।

3. उक्त प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित नियोक्ता संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे रिटर्न भेजेगा, वे लेखे तैयार करेगा और निरीक्षण करने को वे सुविधाएं देगा जिसे समय समय पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निदेश करेगा ।

सं० के० म० नि० आ०/1(4)/(पंजाब)(250)/91/919—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जायें ।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	पी० एन०/10950	मैं० निकू टेक्स्टाईल मिल्स (प्रा०) लि०, आई/एस औसवाल वूलन मिल्स, जी० टी० रोड, शेहरपुर, लुधियाना और इसका रजि० आफिस बम्बई में	1—1—1987
2.	पी० एन०/12250	मैं० विक्टर इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी, एस० सी० ओ० 345—46, सेक्टर 35/बी, चंडीगढ़ ।	1—9—1989

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तारीख से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/909—जहां मैसर्स नंनजप्पा टेक्सटाइल्स (प्रा.) लि., करूर रोड, डिन्डा गुल-624004 (टी. एन./20024) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मदुरै ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-6-89 से 31-5-92 तक) ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का

संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/922—जहां मैसर्स रैमको सुपर लैदरस लि., बैंगलोर रोड, कारुगमबथुर, वैलोर-632013 नार्थ आरकाट डिस्ट्रिक्ट (टी.एन./19635) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।)

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-3-88 से 28-2-91 तक) ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सपरिवर्तन रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BONK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT

New Delhi-400005, the 18th June 1991

CORRIGENDUM

Notification dated 15th March 1991 of Reserve Bank of India, Department of Banking Operations and Development, Central Office, Bombay published in the Gazette of India, Part III Section 4 dated 6th April 1991.

(1) Front Page (761) at Serial No. 9 मेसर्स डे० चक्रवर्ती एण्ड सेन, कलकत्ता

may pleased be read as मेसर्स डे चक्रवर्ती एण्ड सेन, कलकत्ता

(2) Front Page (761) at Serial No. 13 मेसर्स एन० सी० सी० बॅनर्जी एण्ड कं०, कलकत्ता

may please be read as मेसर्स एन० सी० बॅनर्जी एण्ड कं०, कलकत्ता

LOK CHOWDHURY.
Dy. Chief Officer

VIJAYA BANK

HEAD OFFICE

PERSONNEL DEPARTMENT

Bangalore-560 001, the 23rd May 1991

No. 2231.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Vijaya Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Vijaya Bank (Officers') Service Regulations, 1982.

2. *Short title and commencement* :

(1) These regulatrions may be called the Vijaya Bank (Officers') Service (First amendment) Regulations, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Regulation 21 be substituted by the following :

"On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the

quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 2500/- plus,

(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 2500/- to Rs. 4000/- plus,

(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 4000/- to Rs. 4260/- plus.

(iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4260/-.

Regulation 22(2) *be substituted by the following* :

"On and from 1-1-1990, where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :—

	Column I	Column II
Where the place of work is in		HRA payable shall be
(i)	Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & project Area Centres in Group 'A'	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 450/- p.m.
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	12% of the pay Subject to a maximum of Rs. 375/- p.m.
(iii)	Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above	10% of the Pay subject to a maximum of Rs. 325/- p.m..
(iv)	Area III	8% of the pay subject to a maximum of Rs. 300/- p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, he House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or at the rates indicated in Column II with a maximum of 175% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise, whichever is lower.

Explanation :

1(b) With effect from 1-4-1990, where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure in (a) above, whichever is lower.

2. In this Regulation and in Regulation 23 Area I, Area II and Area III shall mean as under :—

Area I — Place with a population of more than 12 lakhs.

Area II — All cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh and more.

Area III — All places not included in Area I and Area II.

Regulation 24(1) *be substituted by the following* :

An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—

(a) Medical Expenses :

On and from 1-1-1990 reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :

TABLE

Pay Range	Reimbursement limit p.a.
1	2
Rs. 2100/- to Rs. 3060/- p.m.	Rs. 750/-
Rs. 3061/- p.m. and above	Rs. 1000

Note : An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Explanation :

"FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses :

(i) On and from 1-4-1989, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc., of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital i.e., hospitals under the management of a Trust, Charitable institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 1-4-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in case of an officer and 60% in the case of his family members :—

Cancer Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumor, Small Pox, Pleurosy, Diptheria, Leprosy, Kidney Ailment

Regulation 33(4) *be substituted by the following* :

On and from 1-1-1990, Privilege Leave may be accumulated upto not more than 240 days except where leave has been applied for and it has been refused.

A .D. PUNJA,
General Manager (Per. & Vig.)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Kanpur-208 001, the 4th June 1991

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3-CCA(8)(1)/91-92.—In pursuance of Regulation 10(1)(iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the certificate of practice issued to the following members have been cancelled from the

date mentioned against their names as they do not desire to hold the same.

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Cancellation
1	2	3	4
1.	4903	Mr. Bishwanath Puramalka, FCA, Managing Director, Indo Gulf Fertilisers & Chemicals Corporation Limited, P.O. Jagdishpur Industrial Area-227817 & Dist. Sultanpur (UP)	1-4-91
2.	9452	Mr. Jagannath Prasad Kesarwani, FCA, c/o Radhasoami Satsang Sabha, Agriculture Department, Dayalbagh, Agra-282005.	1-4-91
3.	15408	Mr. Raj Kumar Bakliwal, ACA, D-148/A, Savitripath, Bapunagar, Jaipur. 302015.	1-4-91
4.	51159	Mr. O. P. Mandhana, MA, Carribbean Israt Ltd., P. O. Bag 476, Point Zisas (Ouva) Trinidad & Tobago West Indies.	1-4-91
5.	53803	Mr. Laxmi Dutt Vyas, ACA, Accounts Officer, NTPC Ltd., AntaPas Project, Anta, Distt. Kota.	3-7-89
6.	62349	Mr. Narayan Lal Kothari, ACA, c/o Shri Swatantra Bhushan Sharma, Opp. M/s. S. K. Mehta & Co., Bohra Ganesh Marg, Behind Dhul Kot, Udaipur-313001.	1-4-91
7.	72557	Mr. Rajendra Kumar Mangal, ACA, C. Type Hostel No. 25, II-A Khetri Copper Complex Khetrinagar 333504 Dist. Jhunjhunu.	1-3-91
8.	72723	Mr. Sunil Kumar Chhawchharia, ACA M/s Orient Electrotech. Ancillary Industrial Area, Tapudana Hatia, Ranchi-3	1-4-91
9.	73238	Mr. Vinod Kumar Shrimal, ACA, 11, Solankiyo ki Ghati, Udaipur. 313001.	31-3-91
10.	73666	Mr. Rohitashva Saihjee, ACA, Accounts Officer, Payroll Accounts Division, The Tata Iron & Steel Co. Ltd., Jamshedpur.	1-4-91
11.	74138	Mr. Biplab Das, ACA, Holding No. 52, Paras Nagar, Post Office Road, P. O. Mango, Jamshedpur-831012.	1-4-91
12.	74224	Miss. Madhuri Asawa, ACA, 84, Chanakyapuri, Indore-9 (MP)	
13.	85883	Mr. Vikram Aggarwal, ACA, 'Vikarj', 382, Sector-15-A, NOIDA-201301.	1-4-91

M. C. NARASIMHAN,
Secretary

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 28th June 1991

No. F.P. 1(142)/915.—Whereas M/s. The Indian Road Construction Corporation Ltd., New Delhi has forwarded an application in respect of its employee Sh. B. N. Singh Code No. DL-7148/171 for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 under section 17(I-C) of Employees Provident Funds & Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

And whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner am satisfied that the benefits in the nature of Family Pension under the Government of India Pension Rules (C.C.S. Pension Rules) applicable to this individula employee of the said establishment are more favourable than the benefit provided under the Employees Family Pension Scheme, 1971.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (I-C) of section 17 of the said Act, I. B. N. Som, Central Provident Fund Commissoiner, hereby exempt, the above said individual employee of the said establishment who was under the employment of the Central Government before absorption in the above establishment and was governed by the C.C.S. Pension Rules, from the operation of all provisions of the Employees Family Pension Scheme, 1971 with effect from the date of issue of the Notification or from the last date of service of these who retired after exercising option from 22-1-90 to 21-7-90 in terms of Govt. orders dated 22-1-90 on the following terms and conditions :

1. These employees will not be entitled to or claim any benefit(s) under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 from the date of exemption.

2. Option once exercised for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 will be irrevocable.

3. The employer in relation to each of the said employee shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commisisoner concerned, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

No. CPFC.1(4)/PB(250)/91/919.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 52), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of establishment	Date of coverage
1.	PN/10950	M/s. Neeku Textile Mills P. Ltd. I/S Oswal Woollen Mills, G.T. Road, Sherpur Ludhiana including its Regd. Office at Bombay.	1-1-87
2.	PN/12520	M/s. Victor Industrial Security S.C.O. 345-346, Sector-35/B, Chandigarh.	1-9-89

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the siad Act, the Central Provident Fund Comisisoner hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./909.—Whereas M/s. Nanjappa Textiles (P) Ltd., Karur Road, Dindigul-624004 (TN/20024), have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds &

Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that he employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 71 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule IV annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relexation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Madurai from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-6-89 to 31-5-92.

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance, of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regoinal Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approvel, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respects.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./922.—Whereas M/s. Ramco Super Leathers Ltd., Bangalore Road, Karugambathur, Vellore-632013 North Arcot Dist. (TN/19635), have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that he employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereafter referred toas the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 71 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule IV annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relexation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-3-88 to 28-2-91.

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance, of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme should be made without the prior approval of the Regoinal Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1991